

FORM-1

**Government of Uttarakhand
Office of the District Collector:Almora**

No---

Dated-----

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.004** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Construction Division, Public Work Department, Ranikhet (Almora, Uttarakhand) for **Construction of foot Bridge in Naken Gadhera for Naugaon Villege in Almora** district falls within jurisdiction of **Naken** village (s) in Bhikyasen tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.004** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature
V. V. V.
08/01/15

(Full name and official seal of the District Collector)

ANNEXURE....

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT: ALMORA (UTTARAKHAND)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S Deputy commissioner Almora on date 8/1/15... at time 2:00 P.M..at Almora in which application claiming rights in Naken area measuring 0.004 hectares, for **Construction of foot Bridge in Naken Gadhera for Naugaon Vilege** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Bhikyasen sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:Almora

Dated: 8/1/15

VRS
08/01/15

**Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee**

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :-

मुरब्ब मंत्री ग्राम सभोडाकला योजना के अन्तर्गत
भिकियासैण में जोगांव ग्राम हेतु नेहरा गांधी में पुल
निर्माण का कार्य,

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- चौकणा

तहसील :- भिकियासैण

जिला अल्मोड़ा।

अनापति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड भिकियासैण नं १०। गांधेर

जो पैदल पुल ग्राम के निर्माण (..... किमी) परियोजना हेतु आरक्षित वन भूमि ३५.४ है, सिविल सोयम भूमि ०.००२५ है तथा वन पंचायत भूमि ०.००५ है अर्थात् कुल वन भूमि ०.००७ ०.००४ है वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चौकणा द्वारा दिनांक १३।१०।२।२०१४ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रयोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चौकणा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड लो०निं० विभाग, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सभिव
क्षेत्र.....
विकास खण्ड.....

ग्राम चौकणा
प्रधान

ग्राम पंचायत नैकणा
दिं ख० भिकियासैण (अल्मोड़ा)

प्रपत्र-23.1

दिनांक ३/१०/२०१४ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
प्रतावस्थेभा० ३०

ग्राम पंचायत

क्रम सं०

ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ
ग्रामवासियों के नाम

हस्ताक्षर

- ① लक्ष्मीदुर्गा०
- ② कमलाइवी
- ③ दुष्टी०
- ④ देवीहस्ती०
- ⑤ श्रीमद्वारा०
- ⑥ पुष्पादेवी०
- ⑦ चंद्रिरादेवी०
- ⑧ दीपादेवी० — (वाइसक्ट्य)
- ⑨ पावारीदेवी०
- ⑩ राधादेवी०
- य-दग्ग० (वाइसक्ट्य)
- ११ दीपादेवी०
- १२ गोदादेवी०
- १३ जनदेवी०
- १४ ममतादेवी०
- १५ लक्ष्मी०
- १६ कुण्डेश्वा०
- १७ Bhawna Pal
- १८ गीतारेवी० (वाइसक्ट्य)
- १९ —

हीरासिंह
प्रधान
ग्राम पंचायत नैकणा०
विं खंगमियासेण (अल्मोड़ा)

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- उम्मेद की ग्राम पंचायती विकास के अन्तर्गत खण्ड स्तरीय समिति में निर्माण ग्राम हैदर बाजार में फुल लिम्पिका का बैठक

कार्यालय उपजिलाधिकारी, खण्डपत्र ।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड खण्डपत्र के अन्तर्गत (आरक्षित वन भूमि २५०५ है), सिविल सोयम भूमि ०.००४५ है तथा वन पंचायत भूमि ०.००२५ है अर्थात् कुल वन भूमि ०.००७० है) निर्माण खण्ड, लोनिविभाग, रानीखेत के नाम हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी/ वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति तहसील/ खण्डपत्र की दिनांक ६-१२-२०१५ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन प्रवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में श्री ३५०० रुपये खण्डपत्र उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

- | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--|--------------|
| १. श्री ३५०० रुपये खण्डपत्र | उपजिलाधिकारी | | अध्यक्ष / |
| २. श्री ली. राम जी नाथ | उप प्रभागीय वनाधिकारी | | सदस्य / |
| ३. श्री आशुषस्थवर्तु | सहायक समाज काम्यानु अधिकार सदस्य | | सदस्य / सचिव |
| ४. श्री लक्ष्मी चन्द्रशेखर | गीड़ी सो० क्षेत्र विधायक वनमन्दौना | | सदस्य / |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत खण्डपत्र उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अद्यतन कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड खण्डपत्र के अन्तर्गत खण्डपत्र के अन्तर्गत वन अधिकार समिति का (३५०० रुपये खण्डपत्र) राजनीति का अधिकार समिति का अन्तर्गत वन अधिकार समिति का अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुवे जानकारी से मार्ग सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उप खण्डपत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड के अन्तर्गत खण्डपत्र के अन्तर्गत वन अधिकार समिति कोटर मार्ग के निर्माण हेतु ०.००७० है, वन भूमि निर्माण खण्ड, लोनिविभाग, रानीखेत को जनहित में सक्षम प्राधिकारी रो अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उपजिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील- उपजिला अल्मोड़ा।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील- उपजिला अल्मोड़ा।

प्रपत्र-23.3

परियोजना का नाम :-

लोहांग ज़िले के लोहांग तालुका के अन्तर्गत वन भूमि का
निर्माण खण्ड वन भूमि का निर्माण वन भूमि का
निर्माण खण्ड वन भूमि का निर्माण वन भूमि का

जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

जिला अन्नोडा के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रत्यावर्तित विकास खण्ड ~~अधिकारी~~ के अन्तर्गत लोहांग तालुका का निर्माण ०.०० किमी० परियोजना के निर्माण हेतु ०.००७ है० वन भूमि निर्माण खण्ड, लोहांग तालुका, रानीखेत को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/ अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिनियम समिति ~~अधिकारी~~ तथा सम्बंधित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जाज्ञाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/ वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

उपजिलाधिकारी
विवाद-बस्तोका

08.01.15
जिलाधिकारी